भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3008

दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम

3008. श्री विष्णु दयाल राम:
श्री अनूप संजय धोत्रे:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्रीमती संजना जाटव:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री यदुवीर वाडियार:
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री बलभद्र माझी:
श्री अभिमन्यु सेठी:
श्री बंटी विवेक साहू:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री गोडम नागेश:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम 2.0) के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और ओडिशा के कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या मुख्य परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) देश में इस कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च-रिजोल्यूशन जलभृत मानचित्रण तथा क्षेत्र-विशिष्ट भूजल प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने में राज्य-वार, विशेष रूप से महाराष्ट्र में जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले सहित तथा मध्य प्रदेश में देवास और शाजापुर जिलों सहित हासिल की गई प्रगति का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) भूजल नियोजन एवं प्रबंधन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों द्वारा एनएक्यूयूआईएम 2.0 के अंतर्गत प्राप्त वैज्ञानिक जानकारियों के उपयोग को सुगम बनाने के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त कार्यक्रम से किस प्रकार साक्ष्य-आधारित भूजल प्रबंधन को सुदृढ़ किए जाने की संभावना है तथा देश में, विशेष रूप से राजस्थान, आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले और मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित साक्ष्य-आधारित सतत भूजल प्रबंधन एवं जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार एनएक्यूयूआईएम 2.0 के हस्तक्षेपों को जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भूजल-संकटग्रस्त क्षेत्रों तक विस्तारित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में एनएक्यूयूआईएम 2.0 के कार्यान्वयन के लिए आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ङ): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम 1.0) के तहत जलभृत मानचित्रण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिह्नित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जलभृत मानचित्र और जलभृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 में नैक्यूम 2.0 की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य जल की कमी वाले क्षेत्रों, भूजल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों, शहरी समूहों, औद्योगिक समूहों, तटीय जलभृतों और स्प्रिंगशेड जैसे चिह्नित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च-रिज़ॉल्यूशन जलभृत मानचित्र और समस्या-विशिष्ट भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार करना था।

वर्ष 2023 में स्वीकृत, नैक्यूम 2.0 के तहत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 के दौरान देश भर में लगभग 76,857 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को कवर करते हुए 143 अध्ययनों का प्रावधान किया गया है। ये अध्ययन जलभृत की विशिष्टताओं, भूजल की उपलब्धता और गुणवत्ता, पुनर्भरण क्षमता और भूजल पर पड़ने वाले दबाव से संबंधित उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली वैज्ञानिक सूचना सृजित करते हैं, जो आपूर्ति-पक्ष और मांग-पक्ष से संबंधित उपयुक्त कार्यकलापों की सिफारिश करने वाली क्षेत्र-विशिष्ट जलभृत प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए आधार बनते हैं। जलभृत मानचित्रों, भूजल डेटा और प्रबंधन योजनाओं को भूजल पुनर्भरण, स्थायी भूजल विकास, जल-संसाधन योजना और जलवायु-रिज़िलियंट भूजल प्रबंधन के एकीकृत कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों,

जिला प्रशासनों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया जाता है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा इस कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक निष्कर्षों के प्रभावी उपयोग के लिए हितधारक परामर्श, प्रसार कार्यशालाएं और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते है। यह कार्यक्रम भूजल पुनर्भरण, स्थायी भूजल विकास, जलवायु-रिज़िलियंट जल-संसाधन योजना और विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के लिए वैज्ञानिक इनपुट प्रदान कर, साक्ष्य-आधारित भूजल प्रबंधन के कार्यान्वयन को सुगम बनाता है।

नैक्यूम 2.0 अध्ययनों की राज्य / क्षेत्र-वार स्थिति तथा प्रश्न में संदर्भित जिले और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा के संबंध में प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

(i) महाराष्ट्र: नैक्यूम 2.0 में लगभग 8,371 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले आठ चिह्नित अध्ययन क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें जल की कमी वाले क्षेत्रों, भूजल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों, शहरी समूहों, औद्योगिक समूहों, तटीय जलभृतों और स्प्रिंगशेड की वैज्ञानिक प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है। जलगांव जिले को नैक्यूम 1.0 के तहत कवर किया गया था और वर्ष 2022 में प्रकाशित इसकी जलभृत प्रबंधन योजना में लगभग 39.64 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) की अनुमानित पुनर्भरण क्षमता के साथ 617 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण और लगभग 464.05 वर्ग किलोमीटर में सूक्ष्म सिंचाई अपनाने की सिफारिश की गई थी, जिसमें लगभग 156.57 एमसीएम भूजल की बचत का आकलन किया गया है। जलगांव जिला नैक्यूम 2.0 के तहत चिह्नित अध्ययन क्षेत्रों में शामिल नहीं है।

(ii) आंध्र प्रदेश: नैक्यूम 2.0 में चयनित शहरी समूहों और जल की कमी वाले क्षेत्रों में लगभग 3,155 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले पांच चिह्नित अध्ययन क्षेत्र शामिल हैं। कोनासीमा जिले को नैक्यूम 1.0 के तहत लगभग 2,079.95 वर्ग किलोमीटर के मानचित्रण योग्य क्षेत्र में कवर किया गया था। जलभृत प्रबंधन योजना ने पांच जलभृत प्रणालियों को चित्रित किया है और कृत्रिम पुनर्भरण, सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग, जलभराव के प्रबंधन और तटीय जलभृतों की सुरक्षा की सिफारिश की गई है। कोनासीमा जिला नैक्यूम 2.0 के तहत चिह्नित अध्ययन क्षेत्रों में शामिल नहीं है।

(iii) उत्तराखंड: नैक्यूम 2.0 में उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले जलभृत मानचित्र और क्षेत्र-विशिष्ट भूजल प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए लगभग 3,567 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले चार चिह्नित अध्ययन क्षेत्र शामिल हैं। इन अध्ययनों ने जलभृत विशिष्टताओं, भूजल उपलब्धता और गुणवत्ता, पुनर्भरण क्षमता और स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए आपूर्ति-पक्ष और मांग-पक्ष से संबंधित उपयुक्त हस्तक्षेपों पर वैज्ञानिक जानकारी सृजित की है।

(iv) राजस्थान: नैक्यूम 2.0 में लगभग 1,410 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले पांच चिह्नित अध्ययन क्षेत्र शामिल हैं। नैक्यूम 1.0 के तहत, राज्य के तत्कालीन 33 जिलों को कवर करते हुए लगभग 3.43 लाख वर्ग किलोमीटर का मानचित्रण किया गया था और साक्ष्य-आधारित भूजल

नियोजन और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के साथ जलभृत मानचित्र और जलभृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई थीं।

(v) **मध्य प्रदेश:** नैक्यूम 2.0 में लगभग 3,640 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले छह चिह्नित अध्ययन क्षेत्र शामिल हैं। देवास और शाजापुर जिलों को नैक्यूम 1.0 के तहत शामिल किया गया था, जिसके तहत संबंधित जलभृत प्रबंधन योजनाओं ने देवास जिले में 3,313 और शाजापुर जिले में 856 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की थी। ये योजनाएं स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण और बेहतर जल-उपयोग दक्षता जैसे मांग-पक्ष उपायों की भी सिफारिश करती हैं। देवास और शाजापुर जिले नैक्यूम 2.0 के तहत चिह्नित अध्ययन क्षेत्रों में शामिल नहीं हैं।

(vi) ओडिशा: नैक्यूम 2.0 में चयनित तटीय, औद्योगिक, खनन, शहरी, जल की कमी वाले और भूजल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 2,990 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले आठ चिह्नित अध्ययन क्षेत्र शामिल हैं। कंधमाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नैक्यूम 2.0 के तहत चिह्नित अध्ययन क्षेत्रों में शामिल नहीं है।

(च): राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (नैक्यूम 2.0) के तहत, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजना, भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना के अंतर्गत उच्च-रिज़ॉल्यूशन जलभृत मानचित्र और क्षेत्र विशिष्ट जलभृत प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा इन अध्ययनों के संचालन हेतु जीडब्ल्यूएमआर योजना के तहत निधि का उपयोग किया जाता है और राज्य सरकारों को निधि जारी नहीं की जाती है। चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए जलभृत प्रबंधन योजनाओं में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन सहित जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। यह उनकी प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, नैक्यूम 2.0 की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से राज्य सरकारों को कोई निधि आवंटित या जारी नहीं की जाती है।
